(154)

(261)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश

निग - 3369 - II/16

1. विनय कुमार सिंह तनय स्व. चन्द्रकीर्ति सिंह,
2. अरुण कुमार सिंह तनय स्व. चन्द्रकीर्ति सिंह,
3. निशान्त सिंह तनय विनय कुमार सिंह,
4. शिवम कुमार सिंह तनय विनय कुमार सिंह,
5. पार्वती सिंह पत्नी विनय कुमार सिंह,

सभी निवासी ग्राम नेबूहा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

बनाम

1. स्वतंत्र कुमार सिंह तनय स्व. चन्द्रकीर्ति सिंह, निवासी ग्राम नेबूहा, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन।

.... अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्तागण

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्र. 67 / अ–12 / 2015–16 में संलग्न प्रकरण क्र. 153 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

(154)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग03369– II / 2016 जिला–रीवा

विनय कुमार सिंह / स्वतंत्र कुमार सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 67 / अ–12 / 2015–16 में संलग्न प्रकरण क्रमांक 153 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	